

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3570

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक)

प्रवासियों का अंतर्राज्यीय आवागमन

3570. श्री असादुद्दीन औवेसी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.6 करोड़ प्रवासी थे और 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में केवल अंतर्राज्यीय प्रवासी गतिशीलता 6 करोड़ तक थी;
- (ख) यदि हां, तो क्या प्रवासी श्रमिक राष्ट्र निर्माण और किसी राज्य विशेष की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं;
- (ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों द्वारा स्थानीय लोगों को आरक्षण के लिए कानून पारित करने के बाद प्रवासी कामगारों को उन राज्यों में विशेषरूप से महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तमिलनाडु और गुजरात में उत्पीड़न, मृत्यु आदि की भारी मार पड़ी है; और
- (घ) यदि हां तो केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में जम्मू-कश्मीर में श्रमिकों की हत्या के बाद इन राज्यों में प्रवासियों की सुरक्षा, संरक्षा और रोजगार के लिए राज्यों के परामर्श से क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) भारत सरकार द्वारा कराई गई जनगणना, 2011 के अनुसार कुल प्रवासी व्यक्तियों की संख्या 45.6 करोड़ थी जिसमें न केवल ऐसे प्रवासी शामिल थे जिन्होंने कार्य, नियोजन अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से प्रवास किया था बल्कि वैसे व्यक्ति भी शामिल थे जिन्होंने अन्य कारणों यथा-विवाह, शिक्षा आदि के कारण प्रवास किया था। दूसरी ओर, आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में देश के प्रवासी कार्यबल का आकार 10 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

प्रवासी कामगार किसी खास स्थान पर कामगारों की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करते हैं।

(ग): प्रवासी कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 का अधिनियमन किया था । इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है। अन्य तीन संहिताओं के साथ-साथ ओएसएच संहिता में प्रवासी कामगारों सहित संगठित एवं असंगठित कामगारों की सभी श्रेणियों के लिए मर्यादित कार्य-दशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निपटान तंत्र, दुर्व्यहार एवं उत्पीड़न से सुरक्षा, कौशल संवर्धन एवं सामाजिक सुरक्षा का उपबंध किया गया है।

(घ): जम्मू एवं कश्मीर के प्रवासी श्रमिकों पर किसी प्रकार के आतंकवादी हमले को रोकने के लिए एक सुदृढ़ सुरक्षा एवं आसूचना तंत्र मौजूद है । इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों में, जहां प्रवासी श्रमिक कार्य करते हैं/रहते हैं, दिन एवं रात के समय संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी, पेट्रोलिंग तथा आतंकवादियों के विरुद्ध तात्कालिक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, नाकों पर हर समय जांच की जा रही है और कश्मीर में प्रवासी श्रमिकों पर किसी प्रकार के आतंकवादी हमले को रोकने के लिए रणनीतिक स्थलों पर सुरक्षा हेतु रोड ओपनिंग पार्टीज की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जा रही है।

\*\*\*\*\*